राजस्थान सरकार

कार्यालय कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,
कृषि भवन 24 पावटा, जोधपुर। 342006
कार्यालय दूरभाष नं. 0291–2541079 E-mail- aro.stljdh@gmail.com

क्रमांक : एफ– ( )/कृ.अ.अ.(रसा.)/भण्डार/निविदा/2018–19/588–93 दिनांक : 23.01.2019

– खुली निविदा सूचना–(2/2018–19) –

श्रीमान् आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6 () आ.कृ./रसायन/संविदा सेवा/2018–19/3444–522 दिनांक 24.05.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना में प्रधानमन्त्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत के (द्वितीय चरण) हेतु, इस कार्यालय के अधिनस्थ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला को प्राप्त हो रहे मृदा के नमूनों को विश्लेषण कार्य हेतु विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन मृदा नमूनों के डाटा इन्द्राज करना व उसी का ऑनलाईन रंगीन मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिटिंग कार्य (मय पेपर) हेतु सेवा प्रदाता संस्था से जॉब बेसिस पर आउटसोर्स के आधार पर करवाने के लिए निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। जिनकी अनुमानित लागत लगभग 3,00,000/– लाख रुपये होगी।

क.सं.	जॉब बेसिस पर करवाये जाने वाले कार्य	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा फार्म शुल्क	निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि	निविदा फार्म प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	कम्प्यूटर पर मृदा नमूनों की सामान्य जानकारी फीड करने का कार्य एवं रंगीन सॉयल हेल्थ कार्ड प्रिन्टिंग कार्य	3,00,000/– लाख	6,000/– रुपये	200/– रुपये	24.01.2019 से 08.02.2019 तक क्रय किये जा सकते है।	11.02.2019 को 12.00PM तक	11.02.2019 को 2.30PM

प्रस्तुत निविदाएं उपस्थित निविदादाओं के समक्ष उपापन कमेटी द्वारा खोली जावेगी, अन्य शर्तें, निविदा प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल, व कृषि विभाग की वेबसाइट http://krishi.rajasthan.gov.in एव कार्यालय में देखी जा सकती है। साईड से डाउनलोड की गई निविदा फार्म प्रस्तुत करने पर फार्म शुल्क रु 200/– का अतिरिक्त डी.डी. निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
जोधपुर

क्रमांक : एफ– ( )/कृ.अ.अ.(रसा.)/भण्डार/निविदा/2018–19/588–93 दिनांक : 23.01.2019

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, कृषि (रसायन) कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जोधपुर कार्यालय नोटिस बोर्ड।
3. श्रीमान् एसीपी महोदय, कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त निविदा कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करावें।
4. राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रिक्योरमेंट राज.जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
जोधपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,

कृषि भवन 24 पावटा, जोधपुर

– खुली निविदा प्रारूप –

1	कार्यालय का नाम	कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर
2	निविदा सूचना संख्या	एफ–( )/कृ.अ.अ.(रसा.)/भण्डार/निविदा/ 2018–19/588–93 दिनांक 23.01.2019
3	निविदा शुल्क राशि	राशि रूपये 200/– नकद रसीद संख्या .... दि .... संलग्न कर दिया है।
4	निविदा की अनुमानित लागत	निविदा की कुल लागत 3 लाख है।
5	बयाना राशि – डाटा अपलोड कार्य एवं कार्ड रंगीन प्रिन्टिग कार्य मय पेपर	रूपये 6,000/– का बैंकर्स चैक .... दिनांक.................................. संलग्न कर दिया है।
6	निविदा के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक दस्तावेज	1. फर्म के आवश्यक प्रमाण पत्र निविदा की शर्त संख्या 32 के अनुसार 2. बयाना राशि से संबंधित डी.डी/बैंकर्स चैक 4. गत वर्ष के कार्यो का विवरण 5. कम्प्यूटर व कार्यशाला का विवरण 6. मृदा कार्ड में प्रयुक्त कागज का नमूना
7	निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पूर्ण पता	निविदादाता/व्यक्ति/फर्म का नाम .... पता .... टेली................................../मो. नम्बर......................................
8	फर्म के बैंक का नाम	बैंक का नाम : बैंक शाखा का नाम : आईएफएमएस कोड : खाता संख्या :
9	निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	08.02.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक
10	निविदा खोलने का दिनांक	11.02.2019 को दोपहर 2.30 बजे

मैंने कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो को मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसा.)
24, पावटा, जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि भवन 24 पावटा, जोधपुर। 342006

शिड्यूल–जी

क. सं.	कार्य का विवरण		दर रूपये व अक्षरे में	जी.एस.टी. की दर	योग
1	URL Address shc.agnet.nic.in पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने हेतु डाटा अपलोड करना जैसे कृषक का नाम मय सह कृषकों का नाम व पिता का नाम, ग्राम, प्रयोगशाला कमांक, (LSN) विश्लेषण दिनांक, नमूना ईकाई संख्या, जी.पी.एस अक्षांश व देशान्तर, खशरा न., क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत, पं. स., कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र, सहायक निदेशक क्षेत्र, जिला, कृषक की क्षेणी (GEN, OBC, SC/ST) व, प्रयोगशाला कमांक खेत की पहचान, खसरा नं., फसलों का चयन, जांच परिणाम (PH/EC/OC/P2-O5/K2O/SULPHAR) व आधार नम्बर व मो. नम्बर आदि का इन्द्राज होगा।	डाटा अपलोड की दर प्रति मृदा नमूना			
2	URL Address shc.agnet.nic.in पर उसी मृदा नमूनें का, उपलब्ध मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रंगीन प्रिन्टिग का कार्य, कार्ड के मुख्य पृष्ठ पर सामान्य जानकारी होगी एवं पृष्ठ भाग में वेबसाईट से प्रिन्ट लेना होगा।	रंगीन मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिन्टिंग मय पेपर की दर प्रति कार्ड			
	योग				

उपरोक्त दोनों कार्यों की दरों का योग को ही न्यूनतम आधार माना जायेगा।
समय समय पर देय जी.एस.टी. की दर लागु होने पर नियमानुसार देय होगी।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,

कृषि भवन 24 पावटा, जोधपुर

– खुली निविदा की शर्तें –

1. इच्छुक निविदादाताओं को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर स्पष्ट रूप से मृदा नमूनों के डाटा इन्द्राज करना व उसी का ऑनलाईन मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिटिंग कार्य (मय पेपर) व मृदा नमूनों का तकनीकी विश्लेषण कार्य हेतु निविदा" लिखना होगा। उसके साथ बयाना राशि संलग्न करनी होगी।

2. इच्छुक निविदादाता रूपये 200/– कार्यालय में नकद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र दिनांक 24.01.2019 से 08.02.2019 तक कार्यालय समय में कार्यालय से क्रय कर सकते है।

3. व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का निजी अनुबन्ध नहीं किया जावेगा तथा प्राइवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी से भी व्यक्तियों का अनुबन्ध नहीं किया जावेगा, केवल कार्य का अनुबन्ध किया जायेगा।

4. निविदा में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं करें। ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

6. निविदादाता को अपना पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

7. मूल्यांकन की कसौटीः–खुली बोली निविदा में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

8. निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में साफ–साफ लिखनी चाहिये इनमें कोई त्रुटिया/अपलेखन/अशुद्धियों/कांट–छांट नहीं होनी चाहिये।

9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

10. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार करने के लिये इस कार्यालय के अधिनस्थ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित क्रमशः 150 व 150 (कुल 300) सेम्पल प्रति कार्य दिवस के अनुसार औसतन 10220 सेम्पल के डाटा निविदा दाता को एक माह के अन्दर अपलोड कर प्रिन्ट करने होंगे और तैयार मृदा स्वास्थ्य कार्ड गांववार प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक विश्लेषित हो चुके नमूनों के डाटा अपलोड़िग व कार्ड प्रिन्टिग कार्य भी (Backlog) बकाया चल रहा है जिसको प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रताशीघ्र करना होगा।

12. सॉयल हैल्थ कार्ड प्रिटींग का कार्य निविदादाता को 100 GSM के A-4 पेपर पर रंगीन प्रिन्टर (Colour Printer) द्वारा कलर प्रिन्टींग करना होगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मृदा से संबंधित सामान्य जानकारी होगी तथा पृष्ठ भाग पर सॉफ्टवेयर से सॉयल हैल्थ कार्ड का कलर प्रिन्ट लेना होगा। मृदा से संबंधित जानकारी का प्रारूप कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

13. पेपर की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जावेगी एवं पेपर की गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा कभी भी करवायी जा सकेगी। यदि उचित गुणवत्ता का नहीं पाया गया तो निविदादात्ता के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसा.)
24, पावटा, जोधपुर

14. फर्म को भुगतान उसके द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये बैंक खाते में कोषालय द्वारा ऑन लाईन किया जावेगा। इस हेतु फर्म को अपने बैंक की पूर्ण डिटेल/पैन नं. मोबाईल नम्बर आदि की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।

15. फर्म को अपनी दरें जी.एस.टी. के साथ प्रस्तुत नहीं करनी होगी। तथा किसी तरह का अन्य कर देय नहीं होगा।

16. फर्म को किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार जी एस टी के टीडीएस की कटौती की जावेगी, जिसका फार्म नं. 16ए फर्म को समय–समय पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

17. भुगतानः–
(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

18. फर्म को भुगतान बजट की उपलब्धता पर निर्भर होगा, यदि कभी बजट आवंटन देरी से प्राप्त होता है तो भुगतान में विलम्ब हो सकता है।

19. अनुमोदित दरें अनुबन्ध तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी, इस अवधि का आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार आगामी छः माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

20. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उसे भाड़े पर नहीं देगा।

21. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):–
(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर के नाम पर जमा करानी होगी एव राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेख नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निश्पादन करना होगा।
(ब) सफल बोली लगाने वाले की द ा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

22. बोलियों का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

23. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर होने वाले व्यय आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

24. उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।

25. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तों में संशोधन का अधिकार उपापन कमेठी के पास सुरक्षित होगा।

26. मृदा नमूनों के डाटा इन्द्राज करना व उसी का ऑनलाईन मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिटिंग कार्य (मय पेपर) एक ही प्रकृति व एक ही मिट्टी नमूनें का होने के कारण उक्त दोनों कार्यो की संयुक्त दर (यानि दोनों का योग) के आधार पर वित्तीय मूल्यांकन किया जायेगा। अलग–अलग कार्यो हेतु दरें अनुमोदित नहीं होगी और न ही अलग–अलग दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

27. कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के ऑनलाईन इन्द्राज कार्य में किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने पर, उस त्रुटि फलस्वरूप डाटा इन्द्राज एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिन्टिग का भगतान नहीं किया जायेगा। त्रुटि को सही किया जाकर नया मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाये जाने पर ही उसका भुगतान किया जायेगा।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसा.)

28. उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।

29. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work PerformanceSecurity Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगाः–

(क) जब संविदा की भार्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोशजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

30. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रति ात के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनका बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये –2.50 प्रति ात

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए –5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिये – 7.50 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10.00 प्रतिशत

(ड)विलम्ब की अवधि में आधा दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोली–दाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय कार्यवाही करेगा न की सेवा सप्लाई पूरी होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिर्निधारित क्षति सहित या रहित की जायेगी।

31 फर्म को कार्य के अनुभव का केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड/निगम में कार्य करने का एक वर्ष अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

32. फर्म/संस्था/सेवाप्रदाता कम्पनी को निम्न दस्तावेजों की फोटो प्रतिया संलग्न करें।

1. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियम एवं अन्मूलन) अधिनियम 1970
2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
3. कर्मचारी भविष्य बीमा अधिनियम, 1948
4. वस्तु एवं सेवाकर (GST)
5. आयकर (पैन नम्बर)
6. राजस्थान दुकार एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत

उपरोक्त कम संख्या 1 से 31 तक शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है, जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
जोधपुर

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)
24, पावटा, जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

घोषणा पत्र

खुली बोली निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु नियम एव शर्तो मे बिन्दु संख्या 7 के अनुसार रजिस्टर्ड है वास्तव में खुली बोली निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा 'अधिनियम' की धारा 46 एवं 'नियम' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोशणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निश्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समर्पण/जब्त किया जा सकेगा तथा सीमित निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसा.)
24, पावटा, जोधपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील